

फर्द अहकाम

उपखण्ड अधिकारी चाडबु
 बनाम पांची
 संख्या/वर्ष : 316 / 2023

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
10/11/24	<p>पत्रावली पेशा दुरी वकील प्राची अफा अप्राचीण को सम्मन जारी करके उसे एक माह के अंदर का समय ही चुका देने सम्मन अदम तामील होकर प्राप्त नहीं। अतः तामील सम्मन मानी जाती है।</p> <p style="text-align: center;">सम्मन तामील के</p> <p>अपराध अप्राचीण जारी नहीं। अतः इसके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।</p> <p>बहाल वकील प्राची की अज्ञानता व ग. पत्र का अवलोकन करने पर हम पत्रे हैं कि प्राची एक अप्राचीण वादग्रस्त मुक्ति के लक्ष्यकार हैं एवं वादग्रस्त मुक्ति की विधिवत विभाजन नहीं हुआ है।</p> <p style="text-align: center;">अतः वाद की बहस का को शेकने एवं वाद की विषय वस्तु को प्रचार रखने के लिए ग. पत्र के परत ल. 2 में उल्लेखित मुक्ति पर उभरफों को तालेसलावाद में के की प्रथाविधि प्रचार रखने हेतु पाबंद किया जाता है।</p> <p style="text-align: center;">पत्रावली फिलत शुमार होकर दर्ज नम्बर लेना है।</p> <p style="text-align: center;">316 उपखण्ड अधिकारी चाडबु</p>	